

क्रमांक - एफ 2(6358) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 14/05911/2019

जयपुर, दिनांक 17-12-2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सूचना सहायकों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

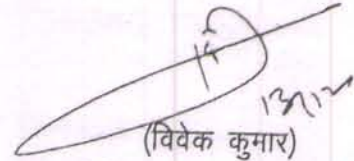
क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	वर्तमान पद	परीक्षा का नाम
1024	अंकित शर्मा	कार्यालय संचालक निदेशक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	NET COMP. EXAM DEC 2019(UGC)	
2686	अलकेश विश्नाई	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर	NET COMP. EXAM DEC 2019(UGC)	
1259	अपराजिता शर्मा	कार्यालय राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि जयपुर	NET COMP. EXAM DEC 2019(UGC) AND VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT COMP. EXAM-2019(RPSC)	
2273	अरविन्द कुमार	कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा	PGT COMPUTER SCIENCE(EXCEPT MEWAT CADRE) COMP. EXAM-2019(HSSC) AND PGT COMPUTER SCIENCE (MEWAT CADRE) COMP. EXAM-2019(HSSC)	
689	श्री अमित सिंह	कार्यालय एसोपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, ब्लॉक-तिजारा, अलवर	TA CUM PROGRAMMER COMP. EXAM-2019(SUPREME COURT OF INDIA), SO COMP. EXAM-2019(SBI) AND TECHNICAL ASSISTANT COMP. EXAM-2019(NIT, JALANDHAR)	
NEW IA	आशा राम मीणा	कार्यालय एसोईएम-फास्ट ट्रेक, राजस्व कोर्ट, बून्दी	NTPC COMP. EXAM-2019(RAILWAY), ENGINEER/SCIENTIST 'SC'(ISRO, ICRB) COMP. EXAM-2019	
NEW IA	अनिल कुमार सोनी	कार्यालय कृषि आयुक्तालय, जयपुर	VICE PRINCIPAL ITI COMP. EXAM-2019(RPSC)	
NEW IA	अश्वल भारतीय	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, अलवर	CGL COMP- EXAM-2019(SSC)	
NEW IA	अर्चना पारेता	कार्यालय तहसीलदार, मौजमाबाद, जयपुर	BANK PO(2019) COMP. EXAM(IBPS), JUNIOR MANAGER DEVELOPER EXAM-2019(SBI), GRADE-B COMP. EXAM-2019(RBI), VICE PRINCIPAL COMP. EXAM-2019(RPSC) BANK SPECIALIST OFFICER COMP. EXAM-2019(IBPS)	

उपर्युक्त सूचना सहायकों को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

CONTD.

4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शारित हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

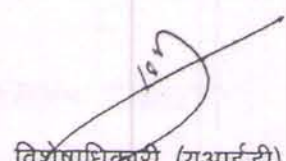

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यूआईडी)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कार्मिक
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी (यूआईडी)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)